पी. मणि

बनाम

तमिलनाडु राज्य

24 फरवरी, 2006

[एस.बी. सिन्हा और पी.पी. नावलेकर, न्यायाधीश]

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

धारा 106 - लागू होना - सबूत का भार - मृतक-पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और खुद को आग लगा ली - पति और अन्य गवाहों ने दरवाजा तोड़ दिया - पानी डालकर आग बुझाई - पति की दोषसिद्धि - निचली अदालतों का यह मत था कि धारा 106 के तहत कोई स्पष्टीकरण देना पति का दायित्व था - क्या यह न्यायोचित था - धारित किया गया, न्यायोचित नहीं - यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 106 यहाँ लागू होती है क्योंकि घटना कमरे के अंदर हुई थी और पति तथा अन्य गवाहों ने कमरे से धुआं निकलता देख दरवाजा तोड़ा था - भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 302।

धारा 32 - मृत्युकालिक कथन, यदि विश्वसनीय पाया जाता है तो दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त होगा - तथ्यों पर, साक्ष्य यह सुझाव देते हैं कि मृत्युकालिक कथन पूरी सच्चाई प्रकट नहीं कर रहा है - अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है - दोषसिद्धि निरस्त की गई - भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 302।

धारा 113A - के अधीन उपधारणा - पति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया था, इसलिए धारा 113A के तहत उपधारणा उपलब्ध नहीं है।

दांडिक विधि :

अपराध का किया जाना - सबूत का भार - धारित किया गया: यह साबित करना अभियोजन पक्ष पर है कि अभियुक्त की संलिप्तता सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे है - साक्ष्य - सबूत का भार।

घटना वाले दिन, अपीलार्थी-अभियुक्त के घर में कुछ बच्चे टी.वी. देख रहे थे। वे घर से बाहर आए और बताया कि अपीलार्थी की पत्नी (मृतका) ने उन्हें घर से बाहर जाने को कहा था और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। यह सुनकर, अभियोजन साक्षी-1, अभियोजन साक्षी-2 और अपीलार्थी ने दरवाजा तोड़ दिया और मृतका को आग की लपटों में पाया। आग बुझाई गई और अपीलार्थी तथा गवाहों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया। एक मजिस्ट्रेट द्वारा डॉक्टर की उपस्थिति में मृत्युकालिक कथन दर्ज किया गया। हेड कांस्टेबल ने भी मृतका का बयान दर्ज किया, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया। 5 दिन बाद अस्पताल में मृतका की मृत्यु हो गई। मृतका की मृत्यु के 12 दिन बाद अपीलार्थी को इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया।

सत्र न्यायाधीश ने मृत्युकालिक कथन पर भरोसा करते हुए अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा कि मृतका द्वारा दिया गया मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय है और इन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा कि घटना के बाद अपीलार्थी घटनास्थल से फरार हो गया था; घटना एक कमरे के अंदर हुई थी और अपीलार्थी वहां मौजूद था, फिर भी अपीलार्थी साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, और इस तथ्य के मद्देनजर भी कि अपीलार्थी को जलने की कोई चोट नहीं आई थी। व्यथित होकर अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने:
धारित किया :

1. एक दांडिक मामले में, अभियुक्त की संलिप्तता को सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे साबित करना अभियोजन पक्ष का दायित्व है। यह ऐसा मामला नहीं था जहां पति और पत्नी दोनों को अंतिम बार एक साथ कमरे के अंदर देखा गया हो। घटना भले ही एक कमरे में हुई हो, लेकिन स्वयं अभियोजन पक्ष ने इस आशय के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि जो बच्चे टेलीविजन देख रहे थे, उन्हें मृतका ने बाहर जाने के लिए कहा था और उसके बाद उसने अंदर से कमरा बंद कर लिया था। जब उन्होंने कमरे से धुआं निकलता देखा, तो वे उसकी ओर दौड़े और दरवाजा तोड़ दिया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 यहाँ किसी भी प्रकार से लागू होती है। [491-G-H; 492-A]

2. अनुसंधान अधिकारी ने यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की कि अपीलार्थी उक्त अवधि के दौरान फरार था। उसने यह नहीं कहा कि उसने अपीलार्थी को गिरफ्तार करने का कोई प्रयास किया था। वह यह दर्शाने के लिए कोई भी बयान देने या अभिलेख पर कोई सामग्री लाने में भी विफल रहा और/या उपेक्षा की कि उसके द्वारा अपीलार्थी को गिरफ्तार करने के लिए क्या प्रयास किए गए थे। [492-B-D]

3. उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त के शरीर पर चोट की अनुपस्थिति को अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास करने के आधारों में से एक पाया गया था। सभी अभियोजन गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा कि पानी डालकर आग बुझाई गई थी। उस स्थिति में, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अपीलार्थी को जलने की कोई चोट नहीं आई। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि आग बुझाने की प्रक्रिया में किसी अन्य व्यक्ति को जलने की कोई चोट आई हो। घटना स्वीकृत रूप से एक छोटे कमरे के अंदर हुई थी। इसके दो दरवाजे थे। अभियोजन गवाहों ने दोनों दरवाजे खटखटाए। दरवाजा खोलने के लिए मृतका को दी गई उनकी आवाज़ का कोई उत्तर नहीं मिला और तभी उन्होंने दरवाजा तोड़ने का सहारा लिया। उनके अनुसार, न केवल उस समय अपीलार्थी उनके साथ था, बल्कि उसने आग बुझाने में भी हिस्सा लिया। निर्विवाद रूप से, वह मृतका को अस्पताल ले गया। यदि मृतका के मृत्युकालिक कथन के संस्करण को सही माना जाए, तो गवाहों और विशेषकर पड़ोसियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई होती और किसी भी स्थिति में, वे अपीलार्थी को उसे अस्पताल ले जाने की अनुमति नहीं देते। [492-E-G]

4. मृतका के बेटे और बेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अवसाद से पीड़ित थी और उसने घटना की तारीख से एक सप्ताह पहले आत्महत्या करने का प्रयास किया था। यह स्वयं अभियोजन पक्ष का सकारात्मक मामला है कि अपीलार्थी के साथ उसके संबंध इस विश्वास के कारण अच्छे नहीं थे कि उसका किसी अन्य महिला के साथ प्रेम-प्रसंग था। स्वीकृत रूप से यह साबित नहीं हुआ है। यदि वह किसी गलत विश्वास के अधीन काम कर रही थी और यदि वास्तव में वह किन्हीं भी कारणों से अवसाद से पीड़ित थी, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके गलत बयान देने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, अभिलेख पर लाई गई सामग्री अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती है, बल्कि बचाव पक्ष का समर्थन करती है। [493-A-B]

5. निर्विवाद रूप से केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, लेकिन यह पूर्णतः विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसे मामले में जहां मृत्युकालिक कथन

की सत्यता के संबंध में संदेह उठाया जा सकता है, न्यायालय इसके आधार पर किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से पहले कुछ संपोषक साक्ष्य की तलाश करेगा। संदेह सबूत का विकल्प नहीं है। यदि अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य यह सुझाव देता है कि ऐसा मृत्युकालिक कथन पूरी सच्चाई प्रकट नहीं करता है, तो इसे केवल साक्ष्य के एक भाग के रूप में माना जा सकता है, और ऐसी स्थिति में केवल इसके आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। मृत्युकालिक कथन त्रुटिहीन प्रकृति का है या नहीं, यह प्रश्न मृतका की शारीरिक और मानसिक स्थिति जैसे कई कारकों पर निर्भर करेगा। इस मामले में, अभिलेख पर लाई गई परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से इस ओर इशारा करती हैं कि मृत्युकालिक कथन में जो कहा गया होगा वह सही नहीं भी हो सकता है। यदि मृतका लंबे समय से अपने पति के प्रति द्वेष पाल रही थी, तो वह स्वयं आत्महत्या करते हुए उसे फंसाने की कोशिश कर सकती है ताकि उसका जीवन दयनीय हो जाए। वर्तमान मामले में जहां अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A के तहत उपधारणा उपलब्ध नहीं है। ऐसी उपधारणा के अभाव में, अभियुक्त की दोषसिद्धि और दंडादेश अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। इस मामले में, साक्ष्य ऐसे नहीं हैं जो केवल अभियुक्त के अपराध की ओर ही इशारा करते हों। अतः अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है। [493-C-G]

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:दांडिक अपील संख्या 1081 वर्ष 2005.

मद्रास उच्च न्यायालय के दांडिक अपील संख्या 97/2001 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 31.12.2003 के विरुद्ध।

अपीलार्थी की ओर से: वी.जे. फ्रांसिस, ए. राधाकृष्णन, अनुपम मिश्रा और जेनिस वी. फ्रांसिस।

प्रत्यर्थी की ओर से: सुब्रमण्यम प्रसाद, अभय कुमार, गोपाल कृष्णन और जय किशोर।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

एस.बी. सिन्हा, न्यायाधीश 1. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध करने के आरोप में दोषसिद्ध किया गया था और सत्र विचारण संख्या 183 वर्ष 1999 में अपर सत्र न्यायालय कन्याकुमारी जिला, नागरकोइल द्वारा पारित निर्णय और आदेश

दिनांक 10-01-2001 द्वारा उसे आजीवन कठोर कारावास के साथ-साथ 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

2. मृतका अपीलार्थी की पत्नी थी। उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे। मृतका इस विश्वास के कारण उसके प्रति द्वेष पालती थी कि अपीलार्थी का किसी अन्य महिला (अभियोजन साक्षी-12) के साथ प्रेम-प्रसंग था, जो उसके बड़े भाई (अभियोजन साक्षी-11) की पत्नी है। दिनांक 4-10-1998 को सुबह 10.45 बजे कुछ बच्चे अपीलार्थी के घर में टेलीविजन देख रहे थे। वे यह बताते हुए वहां से बाहर आए कि मृतका ने उन्हें घर से बाहर जाने को कहा था और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। यह सुनकर अभियोजन साक्षी-1, अभियोजन साक्षी-2 और अपीलार्थी वापस गए और दरवाजा तोड़ दिया। कथित तौर पर, अपीलार्थी ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर मृतका को आग लगा दी थी।

3. यह विवादित नहीं है कि कमरे का दरवाजा तोड़ा गया था। उक्त गवाहों के साथ-साथ अभियोजन साक्षी 3 से 6 तक ने भी मृतका को आग की लपटों में देखा। आग बुझाई गई और उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इसके अतिरिक्त यह भी विवादित नहीं है कि अपीलार्थी अन्य गवाहों के साथ उसे अस्पताल ले गया। वे लगभग 11.15 बजे अस्पताल पहुंचे। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोपहर 12.25 बजे से 12.45 बजे के बीच एक डॉक्टर (अभियोजन साक्षी-15) की उपस्थिति में एक मृत्युकालिक कथन दर्ज किया गया। इसी बीच कुलाचल पुलिस स्टेशन के प्रभारी हेड कांस्टेबल (अभियोजन साक्षी-23) को उक्त घटना के बारे में सूचना मिली, जिस पर वह अस्पताल पहुंचे और दोपहर 14.15 बजे से 14.45 बजे तक मृतका का बयान फिर से दर्ज किया, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (संहिता) की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के कॉलम नंबर 7 में अपीलार्थी का नाम अभियुक्त के रूप में दर्शाया गया था। अनुसंधान अधिकारी (अभियोजन साक्षी-24) ने 5-10-1998 को मिट्टी के तेल का डिब्बा, माचिस की तीली, लोहे का बोल्ट आदि जब्त किया। दिनांक 9-10-1998 को सुबह लगभग 11.15 बजे सरकारी अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद एफ.आई.आर. में आरोप को संहिता की धारा 302 में बदल दिया गया। अपीलार्थी को उक्त मामले के सिलसिले में 21-10-1998 को गिरफ्तार किया गया था।

4. संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के बाद, अपीलार्थी पर विचारण चलाया गया। यह विवादित नहीं है कि कन्याकुमारी जिला, नागरकोइल के विद्वान सत्र न्यायाधीश, जिनके न्यायालय में मामला

निपटारे के लिए स्थानांतरित किया गया था, के समक्ष सभी महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही हो गए। बचाव पक्ष का मामला यह था कि उसने आत्महत्या की थी क्योंकि गर्भाशय-उच्छेदन के ऑपरेशन से गुजरने के बाद, उसे हार्मोनल असंतुलन हो गया था जिससे वह मानसिक तनाव और दबाव में थी। यह कहा गया कि वह न केवल मानसिक बीमारी और विक्षिप्तता से पीड़ित थी बल्कि अवसाद से भी ग्रसित थी। मृतका के बेटे और बेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मृतका मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और उसने पहले भी एक अवसर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर और खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन अभियोजन साक्षी-9 द्वारा उसे रोक दिया गया था।

5. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने केवल मृतका द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया। अपीलार्थी द्वारा उक्त दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध दायर अपील पर उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के *साथ-साथ* यह धारित करते हुए इसे बरकरार रखा कि मृतका द्वारा दिया गया मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने इन परिस्थितियों पर भी विचार किया कि अपीलार्थी दिनांक 4-10-1998 से 21-10-1998 तक घटनास्थल से फरार था। विद्वान न्यायालय की राय थी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार कुछ स्पष्टीकरण देना अपीलार्थी का दायित्व था क्योंकि घटना एक कमरे के अंदर हुई थी और अपीलार्थी वहां मौजूद था। न्यायालय का यह भी विचार था कि केवल इस कारण से कि मृतका का गर्भाशय-उच्छेदन ऑपरेशन हुआ था, इसका यह अर्थ नहीं होगा कि वह अपना मानसिक संतुलन खो देगी।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी.जे. फ्रांसिस ने अन्य बातों के *साथ-साथ* यह दलील दी कि मृत्युकालिक कथन इस तथ्य के दृष्टिगत विश्वसनीय नहीं थे कि मृतका की मृत्यु उसके पांच दिन बाद हुई थी। विद्वान अधिवक्ता ने दोनों मृत्युकालिक कथनों में कुछ विसंगतियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया। यह तर्क दिया गया कि इस तथ्य के दृष्टिगत कि गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, विद्वान सत्र न्यायाधीश और साथ ही उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश पारित करने में अवैध रूप से कार्य किया है।

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह तर्क दिया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतका को अस्पताल लाए जाने के कुछ ही समय बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्युकालिक कथन दिया गया था, यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय ने इस पर भरोसा करके कोई त्रुटि की है। यह भी प्रस्तुत किया

गया कि यद्यपि अपराध कारित करने का हेतु साबित नहीं हो सका, फिर भी केवल उक्त मृत्युकालिक कथनों के आधार पर दोषसिद्धि और दंडादेश को बरकरार रखा जा सकता है। हमारा ध्यान अपीलार्थी के आचरण की ओर भी आकृष्ट किया गया है।

8. इस मामले में कुछ उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं। सभी अभियोजन गवाहों ने एक स्वर में कहा कि जो बच्चे टेलीविजन देख रहे थे, वे यह कहते हुए कमरे से बाहर आए कि मृतका ने अंदर से कमरा बंद कर लिया है। अभियोजन साक्षी-1 कुमारदास और अभियोजन साक्षी-2 सरवनदास नारियल की भूसी भिगोने के काम में लगे हुए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने अपीलार्थी के साथ मिलकर जबरन दरवाजा खोला और आग बुझाई। उनके पड़ोसियों, अभियोजन साक्षी 3 से 6, ने भी समान बयान दिए। इसके अतिरिक्त यह न तो संदेह में है और न ही विवादित है कि कमरे में दो दरवाजे थे और दोनों अंदर से बंद पाए गए थे। स्वीकृत रूप से, अनुसंधान अधिकारी ने बयान दिया कि घटनास्थल पर न तो कोई गैस स्टोव, न ही केरोसिन स्टोव और न ही जलावन की लकड़ी मिली। उसने घर के अंदर से पिघली हुई अवस्था में बोल्ट जब्त किया था। घर के आगे और पीछे केवल दो ही प्रवेश द्वार थे।

9. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अनुसंधान अधिकारी और अन्य गवाहों के उक्त बयानों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, जिसका एक कारण यह था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत इसका सबूत का भार अपीलार्थी पर था और *साथ ही,* इस तथ्य के मद्देनजर भी कि अपीलार्थी को जलने की कोई चोट नहीं आई थी।

10. हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हैं। एक दांडिक मामले में, अभियुक्त की संलिप्तता को सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे साबित करना अभियोजन पक्ष का दायित्व था। यह ऐसा मामला नहीं था जहां पति और पत्नी दोनों को अंतिम बार एक साथ कमरे के अंदर देखा गया हो। घटना भले ही एक कमरे में हुई हो, लेकिन स्वयं अभियोजन पक्ष ने इस आशय के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि जो बच्चे टेलीविजन देख रहे थे, उन्हें मृतका ने बाहर जाने के लिए कहा था और उसके बाद उसने अंदर से कमरा बंद कर लिया था। जब उन्होंने कमरे से धुआं निकलता देखा, तो वे उसकी ओर दौड़े और दरवाजा तोड़ दिया। उपरोक्त स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का जो संदर्भ दिया गया था, यह नहीं कहा जा सकता कि वह यहाँ किसी भी प्रकार से लागू होती है।

11. इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने दिनांक 4.10.1998 से 21.10.1998 तक गिरफ्तारी से बचने के अपीलार्थी के आचरण पर टिप्पणी की। अनुसंधान अधिकारी ने ऐसा

नहीं कहा। उसने यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की कि उक्त अवधि के दौरान अपीलार्थी फरार था। उसने आगे अभिलेख पर कोई ऐसी सामग्री प्रस्तुत नहीं की जिससे यह पता चले कि प्रयास किए जाने के बावजूद अपीलार्थी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस तथ्य के बावजूद कि स्वयं अनुसंधान अधिकारी द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी को एक अभियुक्त के रूप में दर्शाया गया था, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, यह एक ऐसा विषय था जिसे अनुसंधान अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया जाना आवश्यक था। स्वीकृत रूप से उसने घटनास्थल का दौरा किया और कुछ भौतिक वस्तुएँ जब्त कीं। अनुसंधान अधिकारी ने यह नहीं कहा कि उसने अपीलार्थी को गिरफ्तार करने का कोई प्रयास किया या यह कि वह इससे बच रहा था। वह यह दर्शाने के लिए कोई भी बयान देने या अभिलेख पर कोई सामग्री लाने में भी विफल रहा और/या उपेक्षा की कि उसके द्वारा अपीलार्थी को गिरफ्तार करने के लिए क्या प्रयास किए गए थे। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है जो यह दर्शाए कि अपीलार्थी कब से गिरफ्तारी के लिए अनुपलब्ध था और/या फरार हो गया था।

12. उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त के शरीर पर चोट की अनुपस्थिति को अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास करने के आधारों में से एक पाया गया था। सभी अभियोजन गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा कि पानी डालकर आग बुझाई गई थी। उस स्थिति में, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अपीलार्थी को जलने की कोई चोट नहीं आई। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि आग बुझाने की प्रक्रिया में वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति को जलने की कोई चोट आई हो। घटना स्वीकृत रूप से एक छोटे कमरे के अंदर हुई थी। इसके दो दरवाजे थे। अभियोजन गवाहों ने दोनों दरवाजे खटखटाए। दरवाजा खोलने के लिए मृतका को दी गई उनकी आवाज़ का कोई उत्तर नहीं मिला और तभी उन्होंने दरवाजा तोड़ने का सहारा लिया। उनके अनुसार, न केवल वर्तमान अपीलार्थी उस समय उनके साथ था, बल्कि उसने आग बुझाने में भी हिस्सा लिया। निर्विवाद रूप से, वह मृतका को अस्पताल ले गया। यदि मृतका के मृत्युकालिक कथन के संस्करण को सही माना जाए, तो गवाहों और विशेषकर पड़ोसियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई होती और किसी भी स्थिति में, वे अपीलार्थी को उसे अस्पताल ले जाने की अनुमति नहीं देते।

13. प्रश्न यह है कि क्या उपरोक्त स्थिति में मृत्युकालिक कथन पर भरोसा किया जाना चाहिए। मृतका के बेटे और बेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अवसाद से पीड़ित थी और उसने घटना की तारीख से एक सप्ताह पहले आत्महत्या करने का प्रयास किया था। यह स्वयं

अभियोजन पक्ष का सकारात्मक मामला है कि अपीलार्थी के साथ उसके संबंध इस विश्वास के कारण अच्छे नहीं थे कि उसका किसी अन्य महिला के साथ प्रेम-प्रसंग था। स्वीकृत रूप से यह साबित नहीं हुआ है। यदि वह किसी गलत विश्वास के अधीन काम कर रही थी और यदि वास्तव में वह किन्हीं भी कारणों से अवसाद से पीड़ित थी, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके गलत बयान देने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, अभिलेख पर लाई गई सामग्री अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती है, बल्कि बचाव पक्ष का समर्थन करती है।

14. निर्विवाद रूप से केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, लेकिन इसके लिए यह पूर्णतः विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसे मामले में जहां मृत्युकालिक कथन की सत्यता के संबंध में संदेह उठाया जा सकता है, न्यायालय इसके आधार पर किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से पहले कुछ संपोषक साक्ष्य की तलाश करेगा। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि संदेह सबूत का विकल्प नहीं है। यदि अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य यह सुझाव देता है कि ऐसा मृत्युकालिक कथन पूरी सच्चाई प्रकट नहीं करता है, तो इसे केवल साक्ष्य के एक भाग के रूप में माना जा सकता है, और ऐसी स्थिति में केवल इसके आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। मृत्युकालिक कथन त्रुटिहीन प्रकृति का है या नहीं, यह प्रश्न कई कारकों पर निर्भर करेगा; मृतका की शारीरिक और मानसिक स्थिति उनमें से एक है। इस मामले में अभिलेख पर लाई गई परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से इस ओर इशारा करती हैं कि मृत्युकालिक कथन में जो कहा गया होगा वह सही नहीं भी हो सकता है। यदि मृतका लंबे समय से अपने पति के प्रति द्वेष पाल रही थी, तो वह स्वयं आत्महत्या करते हुए उसे फंसाने की कोशिश कर सकती है ताकि उसका जीवन दयनीय हो जाए। वर्तमान मामले में जहां अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A के तहत उपधारणा उपलब्ध नहीं है। ऐसी उपधारणा के अभाव में, अभियुक्त की दोषसिद्धि और दंडादेश अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। इस मामले में, हम पाते हैं कि साक्ष्य ऐसे नहीं हैं जो केवल अभियुक्त के अपराध की ओर ही इशारा करते हों।

15. अतः, हमारी राय है कि यह एक ऐसा उचित मामला है जिसमें "अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है।" यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाएगा। आक्षेपित निर्णयों को निरस्त किया जाता है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

डी.जी. अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।